He Gazette of India

प्राधिकार सं प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 20]

मई विल्ली, शनिवार, मई 15, 1976/वैशाख 25, 1898

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1976/VAISAKHA 25, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भ्रालग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

माग Π —-खण्ड 3—-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंद्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंद्रालयो और (संव राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के प्रावेश, उपनियम आबि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(भारत के महापजीकार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 27 श्रप्रैल, 1476

सा ब्ला॰ ति ७ ६६० — मिवधान के अनुक्केट 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करने हुए राष्ट्रपति, जनगणना कार्य निदेशक श्रीर जनगणना कार्य के पदेन श्रशीक्षक के कार्यालय, नागालैण्ड मे ग्रुप ग श्रीर ग्रुप घ के गया से सर्वाबन भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निस्त-लिखिन नियम एनद्धारा बनाते हैं, श्रथान् ——

- 1 सक्षिप्त नाम श्रीर प्रारम ——(1) इन नियमो का नाम जनगणना कार्य निश्रणन श्रीर जनगणना कार्य के पदेन श्रधीक्षक के कार्यालय, नागालैण्ड (ग्रुप ग श्रीर ग्रुप घपद) भनि नियम, 1976 होगा ।
 - (2) ये नियम शासकीय राजपन्न मे अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होगे।
 - 2 लागू क्षोता ये नियम इसके साथ सलग्न ग्रन्सूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदो पर लागू होगे।
- 3 पदा की सहया, उनका वर्गीकरण ग्रीर वेतनमान ⊶गदो की सख्या, उनका वर्गीकरण ग्रीर वेतनमान इसके साथ सलग्न ग्रनुमूबी के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिदिष्टानुसार होगे।
- भर्ती की पढिति, प्रायु-मीमा, प्रौर प्रत्य पर्हताए आदि भर्ती की पद्धित, प्रायु-मीमा, प्रार्शताए प्रौर उनमे मबिधित प्रत्य बाते उक्त प्रानुसूची के म्नम्भ 5 मे 13 तक मे विनिर्दिष्टानुसार होगी।

16 GI/76—1 (1291)

| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----|-----------|---------|---|--|--|--|
| Not | oldsaligg | 2 years | By promotion failing which by direct re- cruitment | (1) Superintendents in the Regional Supply Offices who hold a lieu on a permanent post in those offices with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis | Group 'B' De- pai Imental Pro- motion Com- mittee | As required under the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation Regulations, 1958") |
| | | | | (ii) Superintendents (Supervisory Level I) in the Regional Inspection Office, Calcutta, who hold a lien on a permanent post in that office with 2 years' service in the grade tendered after appointment thereto on a regular basis. | | |
| | | | | (iii) Superintendents (Supervisory Level II) in the Regional Inspection Offices who hold lien on a permanent post in those offices with 3 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis | | |
| | | | | | | [No A-12018/9/75-FS 1] |

सुचना ग्रीर प्रसारण महालय

नर्भ दिल्ती, 15 श्रप्रैल, 1976

सा० का० वि 677 — सविधान के प्रमुच्छेद 309 वे परन्तुब द्वारा प्रदक्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हूंग, राज्यपित श्राकाणवाणी (श्रेणी 2 रद) सर्वी नियमावाली 1962 म प्रतिरिक्त राशाधन एउन के लिए एतद्द्वारा निस्तिविद्यत नियम बनात के, श्रथीत् —

- (1) इन नियमा का ग्रांताणवाणी (श्रेणी ८ पद) भनी (मणाधन) नियमावची । १७७६ रंग जा सक्षमा।
- (2) ने नियम सरकारी राजपक्ष में प्रकाणन हान का नारीक का प्रकृतकोंगे।
- 2 श्राकाणवाणी (श्रेणी 2 पव) मर्ती नियमावली 196_ र्ना यनू-सूची मे
 - (क) त्रम (ध्या 15 के सम्मन्द कालम 8 के ग्रन्तर्गत,
 - वांछनीय प्रीरंक कं भ्रन्तर्गत, प्रविष्टि-? राप्त की भागेगा,
 - (2) **प्रावश्यक --**शांकि के अन्तर्गत, धन्त म निम्नीलिखन अांडा जायगा, प्रथति ---
 - "(4) किसी एक प्रादेशिक भाषा की जानकारी (प्रत्येक पद की श्रावश्यकतानुसार)"।
 - (ख) कम भक्या 16 के सभ्मुख कालम 8 के मन्तर्गत,
 - (1) **बांछनो**य ---णीर्पक के प्रन्सर्गत, प्रविन्टि-2 लुप्त की जायेगी,
 - (2) **प्राप्तश्यक --**शीर्गक के यन्त्रमत चन्त्र में सिन्निलिखन जोरा जायेगा, प्रथित --
 - "(4) किसी एक प्रावेशिक भाषा की जानकारी (प्रत्येक पद की श्राक्षण्यकतानुसार)।"

[स• 1/15/75-की०(ए०)]

मोहन लाल टडन, श्रवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

S S KSHETRY, Under Secy.

New Delhi, the 15th April, 1976

G S.R. 677.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II posts) Recruitment Rules, 1962, namely—

- 1 (1) The rules may be called the All India Radio (Class II posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1976
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recomment Rules, 1962,
 - (a) against serial number 15 in column 8,
 - (i) under the heading DESIRABLE, entry (ii) shall be ommitted;
 - (ii) under the heading ESSENTIAL, the following shall be added at the end, namely.—
 - "(1v) Knowledge of one of the regional languages (according to the requirements of each post)".
 - (b) against scrial number, 16 in column 8,
 - under the heading DESIRABLE, entry (ii) shall be ommitted;
 - (11) under the heading ESSENTIAL, the following shall be added at the end, namely:—
 - "(iv) Knowledge of one of the regional languages (according to the requirements of each post)."

[No. 1/15/75 B(A)]

M L. TANDON, Under Secy